न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हापुड़।
उपस्थितः–ज्ञानेन्द्र सिंह यादव, एच.जे.एस. (UP-6237)
CNR No.-UPHP010051612026

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या –1567/2026

1. सुन्दरपाल सिंह पुत्र महकार सिंह।
2. कपिल कुमार पुत्र सुन्दरपाल सिंह।

निवासीगण ग्राम रसूलपुर बहलोलपुर, थाना बाबूगढ़, जिला हापुड़।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

अन्तर्गत धारा–318(4), 338, 336(3), 340(2), 351(3) बी.एन.एस.
थाना–बाबूगढ़, जिला– हापुड़।
मुकदमा अपराध संख्या 111/2026

24.07.2026–

1. अभियुक्तगण उपरोक्त, जो अपराध संख्या 111 सन् 2026, धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 351(3) बी.एन.एस., थाना बाबूगढ़, जिला हापुड़ के संबंध में अभिरक्षा में है, की ओर से उन्हें जमानत पर रिहा किये जाने हेतु यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार, वादिनी मुकदमा ने थानाहाजा पर इस आशय की तहरीर दी कि उसकी उम्र लगभग एक वर्ष थी, उसके माता–पिता का देहान्त हो चुका था, जिसमें उसके पिता का मर्डर हो चुका है। उसकी दादी ने उसका पालन–पोषण किया। जब उसकी उम्र 15–16 वर्ष थी तो दादी खत्म हो चुकी थी। उसके ताऊ सुन्दरपाल व उनके पुत्र कपिल कुमार एवं तेजेन्दर सिंह चडडा ने आपसी साज–बाज मिलीभगत करके उसकी असल जन्मतिथि बदलवा कर नया जाली फर्जी आधार कार्ड बनवाकर नाबालिग से बालिग लिखवाकर खाता संख्या 26 के खसरा संख्या 141, रक्बा 0.2900 है0 व खसरा संख्या 142, रक्बा 1.7880 है0 कुल दो किता रक्बा 2.0780 है0 में से उसका हिस्से का बैनामा तेजेन्दर सिंह चडडा पुत्र श्री गुरूबक्श सिंह चडडा निवासी सी–748 प्रथम तल निकट गुरूद्वारा न्यू फ्रेड्न्स कालोनी, एस0डी0 साउथ दिल्ली 25 को बैनामा दिनांक 15.02.2018 को कर दिया और जो भी धनराशि मिली थी, उसके साथ कपिल कुमार ने ज्वाइंट एकाउन्ट संख्या 91250100187963 सर्व यूपी ग्रामीण बैंक में खाता खुलवाया और समस्त धनराशि पिता पुत्र द्वारा निकालकर हड़प ली गयी। उसके विरोध करने पर ताऊ सुन्दरपाल एवं उनके पुत्र कपिल कुमार ने जान से मारने की धमकी दी कि तेरी हत्या करके तेरे साथ देने वाले के नाम लगा देंगे। 27 बीघा जमीन उसके नाम पर थी, उसे भी कपिल कुमार पुत्र सुन्दरपाल सिंह ने धोखाधड़ी से दान के रूप में अपने नाम करा लिया। इस भूमि का पता उसको कुछ समय पहले ही चला। उसको जान से मारने की धमकी दी तो धमकी के पश्चात् उसको आभास हो गया कि ताऊ सुन्दरपाल एवं इनके पुत्र कपिल कुमार हत्या करने की फिराक में थे, तो वह घर से बिना बताये किसी अज्ञात स्थान पर रह रही है। उसकी वास्तविक जन्मतिथि 20.11.2001 है। दिनांक 15.02.2018 को तेजेन्दर सिंह चडडा को भूमि का बैनामा किया गया तो उसके ताऊ सुन्दरपाल व कपिल कुमार ने उसकी जन्मतिथि 20.08.1999 लिखवा कर बैनामा करवा दिया। वह चाहती है कि धोखाधड़ी करके जो जमीन उसके नाबालिग व अनजाने में बैनामा कराया गया, उसे निरस्त कराया जाये व मुआवजा दिलाया जाये।

3. आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण निर्दोष है तथा झूठे फंसाये गये हैं। आवेदकगण/अभियुक्तगण के खिलाफ कोई निष्पक्ष एवं स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादिनी द्वारा दिनांक 15.02.2018 की घटना बतायी है, जिसमें आवेदकगण/अभियुक्तगण पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने वादिनी की आधार कार्ड में जन्मतिथि चैंज कराकर जमीन का फर्जी बैनामा करा लिया। वर्ष 2018 से वर्ष 2026 में लगभग 8 साल बाद घटना की रिपोर्ट लिखायी गयी है, इससे पूर्व कोई शिकायत किसी प्रकार की नहीं की है। आधार कार्ड में कोई भी परिवर्तन कोई भी व्यक्ति स्वयं ही करा सकता है, कोई अन्य व्यक्ति आधार कार्ड में परिवर्तन नहीं करा सकता है। यदि वास्तव में ऐसी कोई घटना घटित हुई थी तो वादिनी उसकी शिकायत उसी समय पुलिस अधिकारी को कर सकती थी, जबकि उसके द्वारा ऐसा कोई भी कथन

न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित किया है और न ही कोई शिकायत कहीं की गयी है। वादिनी मुकदमा द्वारा आवेदकगण/अभियुक्तगण पर दबाव बनाने व धन ऐठने के उद्देश्य से यह झूठा मुकदमा लिखा दिया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण दिनांक 02.07.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। आवेदकगण/अभियुक्तगण माननीय न्यायालय की सन्तुष्टि हेतु अपनी उचित जमानत देने को तैयार है। जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

4. उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत का पुरजोर विरोध किया गया तथा तर्क दिया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण ने आपसी साज–बाज करके वादिनी मुकदमा के आधार कार्ड में, वादिनी मुकदमा की वास्तविक जन्मतिथि 20.11.2001 के स्थान पर फर्जी जन्मतिथि 20.08.1999 अंकित करायी तथा धोखाधड़ी करके वादिनी मुकदमा की हिस्से की जमीन का बैनामा सह अभियुक्त तेजेन्द्र सिंह चड़डा के नाम पर कराया तथा बैनामा से प्राप्त धनराशि को हड़प लिया तथा जान से मारने की धमकी दी। आवेदक/अभियुक्त कपिल कुमार द्वारा धोखाधड़ी करके वादिनी मुकदमा से अपने पक्ष में दिनांक 24.12.2019 को दानपत्र कराया गया है। वादिनी मुकदमा द्वारा उक्त बैनामे को निरस्त कराने हेतु एक वाद, न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) प्रथम हापुड़ में वाद संख्या 115/2025 निधि बनाम सुन्दरपाल आदि योजित किया गया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध गंभीर प्रकृति का आरोप है। आवेदकगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने का अनुरोध किया।

5. जमानत प्रार्थना पत्र पर आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता के तर्क एवं उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं वादिनी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने तथा अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत केस डायरी का परिशीलन किया।

6. आवेदकगण/अभियुक्तगण पर आरोप है कि उन्होंने आपसी साज–बाज करके वादिनी मुकदमा के आधार कार्ड में, वादिनी मुकदमा की वास्तविक जन्मतिथि 20.11.2001 के स्थान पर फर्जी जन्मतिथि 20.08.1999 अंकित करायी तथा धोखाधड़ी करके वादिनी मुकदमा की हिस्से की जमीन का बैनामा सह अभियुक्त तेजेन्द्र सिंह चड़डा के नाम पर कराया तथा बैनामा से प्राप्त धनराशि को हड़प लिया तथा जान से मारने की धमकी दी। आवेदक/अभियुक्त कपिल कुमार द्वारा धोखाधड़ी करके वादिनी मुकदमा से अपने पक्ष में दिनांक 24.12.2019 को दानपत्र कराया गया है। वादिनी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वादिनी मुकदमा द्वारा बैनामे को निरस्त कराने हेतु एक वाद न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) प्रथम हापुड़ में वाद संख्या 115/2025 निधि बनाम सुन्दरपाल आदि योजित किया गया है, जो वर्तमान में विचाराधीन है। वादिनी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वादिनी मुकदमा के संयुक्त खाते से पैसा निकालने का कथन किया गया है परन्तु दौरान विवेचना विवेचक द्वारा वादिनी मुकदमा व अभियुक्त कपिल के संयुक्त खाते का स्टेटमेन्ट प्राप्त नहीं किया गया है। वादिनी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा के आधार कार्ड में जन्मतिथि चेंज करायी गयी है, परन्तु कोई भी व्यक्ति, किसी के भी आधार कार्ड में चेंज नहीं करा सकता, जब तक स्वयं वह व्यक्ति (जिसका आधार कार्ड है) ने अपने आधार कार्ड में चेंज न कराये। आवेदकगण/अभियुक्तगण दिनांक 02.07.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार पाया जाता है।

<u>आदेश</u>

आवेदकगण/अभियुक्तगण उपरोक्त की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अतः माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा श्रीमति बच्ची देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व एक अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.08.2025 के प्रस्तर संख्या 46 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में संबंधित न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा अंकन 1,00,000–1,00,000/–रूपये की एक–एक विश्वसनीय प्रतिभू एवं समान धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र प्रस्तुत करने पर उन्हें निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर छोड दिया जायेः–

1. आवेदकगण/अभियुक्तगण जमानत पर छूटने के बाद पुनः कोई अपराध कारित नहीं करेंगे।
2. आवेदकगण/अभियुक्तगण के आधार कार्ड या स्थाई निवास प्रमाण पत्र की सत्य प्रति दाखिल की जायेगी।
3. आवेदकगण/अभियुक्तगण जमानत पर रिहा होने के उपरान्त प्रत्येक माह के दसवें कार्य दिवस को संबंधित न्यायालय में हाजिर होकर आरोपपत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और आरोपपत्र न्यायालय में

प्राप्त होने पर अविलंब आरोपपत्र की प्रति प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे, जिससे प्रकरण का शीघ्र निस्तारण किया जा सकेगा।

4. आवेदकगण/अभियुक्तगण जमानत पर रिहा होने के बाद आरोप विरचित किये जाने के समय, साक्ष्य अभिलिखित किये जाने के समय व बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के कथनों को अंकित किये जाने के समय कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे तथा आरोप विरचित किये जाने के समय व धारा 351 बी.एन.एस.एस. के कथनों के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे तथा शेष अन्य तिथियों पर नियमित रूप से व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेंगे और उनके बिना किसी यथोचित कारण के अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध धारा 269 बी.एन.एस. के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा।

5. आवेदकगण/अभियुक्तगण विचारण के शीघ्र निस्तारण में पूर्ण सहयोग करेंगे।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर सक्षम न्यायालय, आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा जमानत की शर्तो का उल्लघंन मानते हुए, की जमानत निरस्त किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा।

दिनांक 24.07.2026

प्रभारी, सत्र न्यायाधीश,
हापुड़।